उनवान

1. अल्लाउद्दीन खां पिता स्व0 बशीर खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. शौकत खां पिता स्व0 बशीर खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

——————(प्राथीगण)

बनाम

1. लादु पिता मांगीलाल कुमावत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. रतनलाल पिता उगमलाल कुमावत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. मिश्रीलाल पिता उगमा जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. बालु पिता उगमा जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. अमीर खां पिता सुल्तान खां पठान निवासी भोमियों की मस्जिद के पास, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज)
6. सद्दीक खां पिता शकरू खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. मिश्री खां पिता शकरू खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. अजीज खां पिता शकरू खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
9. समीर खां उर्फ छोटू खां पिता सुल्तान खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
10. श्रीमति जमीला पत्नि स्व0 बशीर खां पठान निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला (राज)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

उपस्थित– प्रार्थी अधिवक्ता......... सबदर अली एडवोकेट

अनुपस्थित– अप्रार्थी संख्या 5 अधिवक्ता.... कृष्ण कुमार जीनगर एडवोकेट

: : निर्णय : :

दिनांक – 22.12.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 22.02.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की **कृषि भूमि खाता संख्या 26 के आ0न0 2806, 2810, 2814, 2818, 3473/2 कुल किता 5 कुल रकबा 06 बीघा तथा खतौनी संख्या 1247 के आराजी संख्या 2802 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0 पाल, आराजी संख्या 2812 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 22.02.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा वकालत नामा दिनांक 29.03.2016 को प्रस्तुत हुआ व जवाब प्रार्थनापत्र आदेशिका दिनांक 10.05.2016 से प्राप्त होकर शामिल मिसल है। शेष विपक्षीगण तथा विपक्षी संख्या 05 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना नियत पेशी पर अनुपस्थित। विरूद्व विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 10 के एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। प्रकरण में राज्य पक्ष विपक्षी संख्या 11 की ओर से तहसीलदार बनेडा व भू0अ0निरीक्षक व हल्का पटवारी सरदारनगर की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। एकपक्षीय प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। परन्तु तहसीलदार बनेडा रिपोर्ट मुताबिक खतौनी संख्या 1247 के आराजी संख्या 2802 रकबा 0.03 बीघा, आराजी संख्या 2812 रकबा 0.07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 बीघा की किस्म गै0मु0 पाल, गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड होकर अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा** जिला भीलवाड़ा ... भूमि खाता संख्या 26 के आ0न0 2806, 2810 ...